अभ्यर्थियों का परीक्षा केन्द्र में प्रवेश

- अभ्यर्थी को किसी भी तरह का मोबाइल फोन, आई-पैड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, ए.टी.एम. कार्ड, कोई विद्युत सामग्री या तार, कोई भी सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, कागज पर बनी सारणियाँ, ग्राफ शीट, मानचित्र, स्लाइड रूल्स को लेकर परीक्षा केन्द्र के भीतर जाने की अनुमति नहीं है।
- अभ्यर्थियों व स्टाफ द्वारा अपने साथ लाई गई वस्तुएँ यथा-कॉपियां, पुस्तकें, नोट्स, पॉलीथीन बैग, थैले, ब्रीफकेस, मोबाइल फोन, आईफोन व इलेक्ट्रॉनिक सामग्री इत्यादि को अपनी सुविधा अनुसार उचित स्थान पर रख दें। परीक्षा कक्ष के बाहर दरवाजे के आस-पास उक्त सामग्री कदापि न रखवाई जाए।
- अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया अपना प्रवेश पत्र साथ में लाएँगे। एडमिट कार्ड पर दिए हुए रिपोर्टिंग टाइम पर ही रिपोर्ट करेंगे एवं परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर निम्न सामग्री लानी है ई - प्रवेश पत्र , स्वयं नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (Merge, Morphed एवं Tamper किया हुवा न हो)नीली/काली रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन , पहचान हेतु एक मूल फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित के जावेगी , आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है विशेष परिस्तिथि में ही पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस मतदाता पहचान - पत्र में से कोई एक से मिलान किया जावेगा। पहचान प्रमाण पत्र की प्रति मान्य नहीं है। पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने में गहन तलाशी के उपरांत एवं निर्धारित ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश दिया जायेगा।
- अभ्यर्थियों की रोल नं. रेंज की सूची मुख्य गेट पर परीक्षा शुरू होने के तीन घंटे पहले लगा देनी होगी। नोटिस बोर्ड शीट के साथ परीक्षा संबंधी निर्देश भी चस्पा किया जाना चाहिए।
- परीक्षा के दिन प्रवेश के समय उपस्थित अभ्यर्थियों की सघन तलाशी ली जाएगी। महिला अभ्यर्थी की तलाशी हेतु महिला कार्मिक लगाए जाएंगे। महिला अभ्यर्थी की तलाशी हेतु बन्द जगह उपयोग में लिए जावे।
- अभ्यर्थी का प्रवेश, परीक्षा समय से दो घंटे पहले शुरू होगा। प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थी के दस्तावेज के सत्यापन के बारे में सहायक कर्मियों को सही प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- यदि किसी भी अभ्यर्थी को केन्द्र के अंदर किसी भी वर्जित वस्तुओं के साथ पाया जाता है तो इसे अनुचित साधनों के उपयोग के रूप में माना जाएगा और अभ्यर्थी के खिलाफ प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- परीक्षा केन्द्र का मुख्य प्रवेश द्वार परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पूर्व बंद कर दिया जाएगा एवं किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश द्वार बंद होने के पश्चात अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- अभ्यर्थियों के कमरे को बताने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को उनके संबंधित कमरे में मार्गदर्शन करने के लिए वॉलंटियर/सहायक कर्मचारियों को तैनात किया जाना चाहिए।
- रूम एंट्री गेट पर रोल नं. को इंगित करने वाली शीट लगानी होगी।
- वीक्षकएक बार फिर परीक्षा कक्ष में प्रवेश के बाद प्रवेश पत्र एवं मूल आईडी चेक करेगा, उसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाता है, तो वह केन्द्र अधीक्षक को सूचित करेगा।